1811 Sale Chain 612500 1802 24500

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 149078





A0 6125
2.50
0.94
6128.44

4.3.09

# विक्रय पत्र

विक्रेता का नाम एवं पता :– 1. सुमित्रा पासवान पति स्व. फतेह बहादुर

2. सर्वजीत बहादुर उर्फ नन्हे राम, वल्द राम गोविन्द राम

दोनों निवास स्थान भट्ठी मुहल्ला, पोष्ट एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड राज्य, जाति दुसाध, पेशा गृहणी एवं खेती।

3.80

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 149079



| | | |
|---|---|---|
| क्रेता का नाम एवं पता | :– | समाज कल्याण विकास सेवा संस्था, शास्त्री नगर, डालटनगंज (मेदिनीनगर) झारखण्ड द्वारा सचिव – श्री शिव कुमार पिता स्व. रामचन्द्र राम, जाति दुसाध, पेशा खेती, निवास स्थान शास्त्रीनगर, भट्ठी मुहल्ला, पोष्ट एवं थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, झारखण्ड राज्य। |
| लेख्य प्रकार | :– | विक्रय पत्र हमेशा के लिए। |
| सरकारी मूल्य | :– | रूपये 6,12,500/– (छव लाख बारह हजार पाँच सौ रूपये)। |
| देय मूल्य | :– | रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये। |
| नाम जमींदार | :– | झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी, चैनपुर, जिला पलामू, जिसका सलाने मालगुजारी 2.00 दो रूपये अलावे शेष। |

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. R$ 1000

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES



विक्रय भू–सम्पति का विवरण :– मवाजी 3.80 तीन एकड़ अस्सी डीसमिल जमीन हकियत, रैयती वाके मौजा–चकहर भौंगा, थाना चैनपुर, थाना नम्बर–30, जिला पलामू, अन्दर खाता नम्बर 5 (पांच), सर्वे प्लौट नम्बर 2/7 (दो बट्टा सात), मधे रकवा 3.80 एकड़ (तीन एकड अस्सी डिसमिल) जमीन मात्र बिक्री किया जाता है। जो जिला अवर निबंधन पदाधिकारी सह जिला निबंधन पदाधिकारी पलामू से संबंधित है।

## –: जमीन का विवरण :–

| खाता नं. | प्लौट नं. | मधे रकवा | नाम जमीन | दर्जा |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/7 | मधे 3.80 | चकहर भौंगा | टांड़–1 |

विक्रय भूमि का कुल रकवा – तीन एकड़ अस्सी डिसमिल.

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

1000Rs.

उत्तर – जोरावर राम देव स्थान
दक्षिण – अजित बहादुर
पुरब – अहरा एवं धान खेत
पश्चिम – शिवनाथ अग्रवाल एवं तालाब

विक्रेता नम्बर–1 सुमीत्रा पासवान का बिक्री जमीन 1.90 एकड़.
विक्रेता नम्बर–2 सर्वजीत बहादुर उर्फ नन्हे राम का बिक्री जमीन 1.90 एकड़, कुल बिक्री जमीन 3.80 एकड़।

विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भू–सम्पति को विक्रेतागण के स्वसुर एवं पिता भूतपूर्व जमींदार से रैयती बन्दोबस्ती द्वारा हासिल किये थे, और पिता राम गोविन्द राम के स्वर्गवास के बाद यह जमीन उनके लड़के के दखल–कब्जा में आया तथा विक्रेता सुमीत्रा पासवान के पति स्व. फतेह बहादुर का भी स्वर्गवास हो गया और उनके हिस्से की जमीन पर सम्पूर्ण अधिकार सुमीत्रा पासवान को हुई। हमलोग उक्त भूमि का सरकारी मालगुजारी का भुगतान अंचल कार्यालय में करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार हमलोगों को उपरोक्त भू–सम्पति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार हासिल है। इस प्रकार विक्रेता गण को विक्रय भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार हासिल है और वर्तमान समय में इन्हीं के दखल वो कब्जा में विक्रय निर्विरोध रूप से चला आ रहा है और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए विक्रेतागण क्रेता के नाम से यह विक्रय पत्र लिखवा कर हस्तान्तरित करते हैं जो हर दृष्टिकोण से उचित एवं न्यायसंगत है।

1000 Rs.

-: संदर्भ :-

आगे विक्रेतागण को आवश्यक खर्च के लिए वो भी कर्ज चुकाने के लिए एवं घर मरम्मति करने के लिये रूपये की सख्त आवश्यकता हुई और बिना जमीन बेचे किसी दूसरे तरीका से रूपयों का इन्तजाम नहीं हो सकने के कारण अपने-अपने उपरोक्त वर्णित खतियानी जमीन को उपरोक्त मूल्य में क्रेता से बिक्री करने का बातचीत तय किये एवं विक्रय भूमि का कुल रूपया मो0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपया प्राप्त करने के बाद यह विक्रय पत्र लिखवा कर सम्पन्न करते हैं कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

विदित हो कि विक्रय भूमि बिल्कुल स्वच्छ वाद-विवाद से रहित ऋण भार से मुक्त है। काश अगर आगे चलकर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद यस ऋणभार निकले तो इसके देनदार विक्रेतागण होंगे।

विदित हो कि विक्रय भूमि पर विक्रेतागण को जिस तरह का भी स्वामित्व अधिकार था या भविष्य में इनके वंशज उत्तराधिकारियों का होता सो सब ~~अधिकार उसी~~ तरह से समाज कल्याण विकाश सेवा संस्था, शास्त्री नगर, डालटनगंज का हुआ एवं वर्तमान समय में पदस्थापित सचिव का होगा और भविष्य में जो भी सचिव या अध्यक्ष ~~नियुक्त~~ होगा उनका भी अधिकार उसी तरह से रहेगा वो होगा। उक्त भूमि संस्था के द्वारा उपयोग आवश्यकतानुसार करेगी।

1000Rs.

अब इस दस्तावेज के अनुसार क्रेता संस्था एवं सचिव को यह अधिकार होगा कि जमीन से संबधित अंचल कार्यालय में अपने नाम से दाखिल खारीज करवा कर सभी प्रकार के करों का भुगतान किया करें और जमीन पर दखलकार होकर वो रहकर अपने इच्छानुसार उपयोग करें, इसमें हमलोग विक्रेतागण को या हमलोग वंशज उत्तराधिकारियों को अथवा अन्य कोई भी व्यक्तियों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत करते हैं तो उन तमाम आपत्तियों को इस विक्रय पत्र के अनुसार सभी न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है और ना ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यो के लिए किया गया है ना ही भूदान की जमीन है। यह वन सीमा से बाहर है तथा बी.सी.सी.एल. या ई.सी.एल. की भी जमीन नहीं है। यह भूमि आदिवासी खाते की नहीं है, और ना ही आदिवासी से संबंधित है, जमीन सिलिंग से मुक्त है, जमीन मठ, मंदिर, गिरिजा या मस्जिद की नहीं है। जमीन मसना, सरना, हरगड़ी, या पहनई की नहीं है। जमीन भूमि घोटाला या पशुपालन घोटाला से संबंधित नहीं है।

इसलिये सोच समझ बुझ कर बिना किसी के बहकावे या दबाव में आये अपने-अपने पूर्ण स्वस्थ अवस्था में हानि लाभ का विचार करते हुए यह विक्रय पत्र लिखवा कर पढ़ वो पढ़वा कर समझ वो बुझ लिया और सही पाकर गवाहों के समझ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

772433



विक्रय भूमि का कुल रूपया मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रुपया प्राप्त करने के बाद अपना–अपना हस्ताक्षर से सम्पन्न कर आज की तिथि में निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में निबंधित कराते हैं कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

आज दिनांक 18 माह फरवरी सन् दो हजार नव ईस्वी.

द्रफ्ट –

इन्द्रजीत सिंह,
मेदिनीनगर कचहरी.

कातिब –
अशोक कुमार सिन्हा टाईप
अशोक कुमार सिन्हा (टाईप),
अनुज्ञप्ति संख्या – 114 / 03
मेदिनीनगर, जिला पलामू।
18.02.2009



[illegible] कुमार
4/3/09

अशोक कुमार सिन्हा
अशोक कुमार सिन्हा
दस्तावेज लेखक
अनुज्ञप्ति सं० – 114 / 2003
मेदिनीनगर ( पलामू )

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका फोटो दस्तावेज मे लगा है के बाए हाथ कि अगुलियों का निशान मेरे सामने लिए गए हैं।

अशोक कुमार सिन्हा
ला० न० 114/03
दि०:- 4.3.09